04/1/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। वादीगण रोशनलाल पुत्र कन्हैयालाल, रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल, प्रभु पुत्र स्व. कन्हैयालाल को उपरोक्त आराजी हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय अन्तिम डिक्री जारी की जावे। [illegible] निर्णय अनुसार [illegible] 200 रु. किया जावे। मुताबिक निर्णय एवं अन्तिम डिक्री के अनुसार पालना हेतु तहसीलदार जयपुर को तहरीर जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:30:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर (प्रथम), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अरशदीप बराड(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 19/2021

1. श्योजीराम पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।
2. रामकरण पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 57 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।
3. प्रभू पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।

..........वादीगण

बनाम

1. श्रीमती फूली देवी पुत्री स्व0 कानाराम पत्नी स्व0 हरसहाय उम्र 55 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बसेडी हाल गजाधरपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमती नान्छी पुत्री स्व0 कानाराम पत्नी अर्जुनलाल उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बसेडी हाल गजाधरपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर।

...........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 4/01/2022

दिनांक 03.03.2021 को वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र 19/2021 बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया जिसका सार निम्न प्रकार है:

ग्राम बसेडी पटवार हल्का श्योसिंहपुरा तहसील व जिला जयपुर में खसरा सं0 118 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा सं0 121 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 120 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा, खसरा सं0 119 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 32 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। जो वादीगण की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। जो वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि के खसरा नं0 वर्तमान में बीघा–बिस्वा से हैक्टेयर में दर्ज किये जा चुके है जो वर्तमान में खसरा सं0 118 रकबा 1.82 हैक्टे0, खसरा सं0 121/1 रकबा 1.16 हैक्टे0, खसरा सं0 120 रकबा 2.89 हैक्टे0, खसरा सं0 119 रकबा 1.22 हैक्टे0 कुल किता 04 कुल रकबा 7.09 हैक्टे0 है। उक्त आराजीयात वादीगण के पिता स्व0 कानाराम पुत्र हुकमाराम की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की थी। वादीगण के पिता का स्वर्गवास वर्ष 1991 में हो जाने से उनकी विरासत का न[illegible] माता चौथी देवी के हक प्रतिवादी सं0 1 व 2 की सहमति से स्वीकार किया [illegible]तिवादी सं0 1 व 2 की शादी काफी समय पूर्व हो जाने से वे अपने [illegible] करती है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा वादीगण की एक [illegible] लडके राजू ने कुछ लोगों के बहकावे में उक्त विवादित आराजीयात के संबंध में एक [illegible] सं0 140/2015 श्रीमती फूली देवी व अन्य बनाम चौथी बाई व अन्य के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर प्रथम के समक्ष दिनांक 17.09.2015 को पेश किया। जो दिनांक 17.01.2016 को खारिज हो चुका है। उक्त दावे के समय प्रतिवादी सं0 1 व 2 एवं मृतक चौथी देवी एवं वादीगण के बीच एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:30:39 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 12.10.2015 को तहरीर किया गया (नोटरी का रजिस्टर क्रमांक 1346 पृष्ठ सं0 247, 100 रू के स्टाम्प पर) जिसके पैरा सं0 02 में यह स्वीकार किया गया था कि उक्त सम्पति द्वितीय पक्ष यानि वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है, जिसका नामान्तकरण वादीगण के हक में 1991 में ही खुल चुका था, जो कि प्रथम पक्ष यानि प्रतिवादीगण की स्वतंत्र सहमति से खुला था। जिसके बारे में प्रतिवादीगण कभी कोई दावा नहीं करेगे और ना ही कोई हिस्सा मांगेगे यदि कोई उज्र या आपत्ति करेंगे तो वह निरस्त समझी जावेगी। उक्त पारिवारिक समझौता पत्र के पैरा सं0 04 में प्रतिवादीगण ने स्पष्ट अंकित किया था कि प्रथम पक्ष प्रतिवादीगण ने जो दावा कर रखा है उसे वह विड्रो कर लेंगे। प्रथम पक्ष (प्रतिवादीगण) द्वितीय पक्ष (वादीगण) के हिस्से में आने वाली सम्पति तथा प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पति के संबंध में अपना हक त्याग इस समझोते पत्र के माध्यम से करना स्वीकार किया यानि कि प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि के संबंध में भविष्य में जो भी अधिकार थे उनका भी अग्रिम हकत्याग पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 19.10.2015 के माध्यम से वादीगण के हक में कर दिया। इस प्रकार उक्त पारिवारिक समझौते से प्रतिवादीगण एडोप्ट है। चुंकि दिनांक 03.04.2020 को चौथी बाई का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिये वादीगण ही विवादित भूमि में मृतक चौथी बाई पत्नी स्व0 कानाराम के हिस्से की घोषणा स्वयं के हक में करवाने के अधिकारी है।

वादीगण की माता चौथी बाई का स्वर्गवास दिनांक 03.04.2020 को ग्राम बसेडी में होने से प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा 19.10.2015 को पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौते पत्र से बाध्य है जिसके अनुसार मृतक चौथी बाई के उक्त वर्तमान खाता सं0 180 के खसरा नं0 118 रकबा 1.8211 हैक्टे0 का 1/4 हिस्सा वर्तमान खाता सं0 182 के खसरा नं0 119 रकबा 2.4534 हैक्टे0 का 1/4 हिस्सा एवं वर्तमान खाता सं0 181 के खसरा नं0 120 रकबा 2.8960 हैक्टे0 का हिस्सा एवं इसी प्रकार वर्तमान खाता सं0 179 के खसरा नं0 121/1 रकबा 1.1635 हैक्टे0 का 43/92 हिस्से का वादीगण खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 पूर्व हक त्याग एवं पारिवारिक समझौते से बाध्य होने से मृतक का कोई हक हिस्सा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारिणी नहीं है।

वादीगण की माता जी चौथी देवी का स्वर्गवास होने से उक्त आराजीयात के वर्तमान में रकबा बीघा से हैक्टेयर में हो चुका है। जिसमें खसरा सं0 118 रकबा 1.8211 हैक्टे0 जिसका वर्तमान खाता सं0 180 है। जिसकी खातेदारी मृतक चौथी देवी के नाम 1/4 हिस्सा है जिसके वादीगण बराबर हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इसी प्रकार वर्तमान खाता सं0 182 के खसरा नं0 119 रकबा 1.2267 चाही व खसरा नं0 119 रकबा 1.2267 व 3 कुल रकबा 2.4534 हैक्टे0 है। जिसमें मृतक चौथी देवी का 1/4 हिस्से का वादीगण बराबर घोषणा कराने के अधिकारी है। इसी प्रकार वर्तमान खाता सं0 181 के खसरा नं0 120 रकबा 2.8960 हैक्टे0 है जिसमें मृतक चौथी बाई का 1/12 हिस्से की वादीगण बराबर हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी है। इसी प्रकार खाता सं0 179 के खसरा नं0 121/1 रकबा 1.1635 हैक्टे0 में मृतक चौथी बाई का 43/92 हिस्से में वादीगण [illegible] की घोषणा करवाने के अधिकारी है। क्योंकि वादीगण मृतक चौथी बाई के जायज पुत्र [illegible] तथा प्रतिवादीगण द्वारा समझौता दिनांक 19.10.2015 के माध्यम [illegible] है इसलिये मृतक की उक्त आराजीयात में उसके हिस्से में वादीगण [illegible] हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण पूर्व में किये गये हकत्याग एवं पारिवारिक समझौते [illegible] मृतक चौथी बाई के उक्त विवाादित आराजीयात में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने की कानूनन अधिकारिणी नही है, केवल मात्र वादीगण ही मृतक चौथी बाई के हक हिस्से की आराजीयात में कानून घोषणा कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:30:39 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

वर्तमान में जमीनों की कीमत बढने एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 दीगर भूमाफियों के चंगुल में आकर दिनांक 24.01.2021 को वादीगण को एलानिया धमकी दी कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात को विक्रय कर देंगे तथा 5 लाख रूपये की मांग की, जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ। इसलिये वादीगण को उक्त आराजीयात की अपने हक में घोषणा कराना आवश्यक हुआ। वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम बसेडी पटवार हल्का श्योसिंहपुरा तहसील व जिला जयपुर में स्थित वर्तमान खाता सं0 179 के खसरा नं0 121/1 रकबा 1.1635 हैक्टे0 में मृतक चौथी बाई का 43/92 हिस्से, खाता सं0 180 के खसरा सं0 118 रकबा 1.8211 हैक्टे0 में 1/4 हिस्से, वर्तमान खाता सं0 181 के खसरा नं0 120 रकबा 2.8960 हैक्टे0 का 1/12 हिस्सा एवं इसी प्रकार खाता सं0 182 के खसरा नं0 119 रकबा 2.4534 हैक्टे0 का 1/4 हिस्से जो का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर समस्त प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई व ट्रेक रिपोर्ट पेश की गई। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट में दिनांक 09.03.2021 को डिलेवरी कन्फर्मड हो जाने के बावजूद उपस्थित होने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये परन्तु बाद तामील अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 03.08.2021 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा PW1 (प्रभू पुत्र स्व0 कानाराम), PW2 (भैरूराम पुत्र सूरजकरण), PW3 (रंगलाल पुत्र छितरमल) व PW4 (नानूराम पुत्र तुलसाराम) के बयान करवाये गये व निम्नलिखित प्रदर्श अंकित करवाये गये–

1. जमाबंदी खतौनी ग्राम बसेडी खाता सं0 179 सवत् 2073–2076, जो कि प्रदर्श 1 दिनांक 01.10.2021 है।
2. जमाबंदी खतौनी ग्राम बसेडी खाता सं0 180 सवत् 2073–2076, जो कि प्रदर्श 2 दिनांक 01.10.2021 है।
3. जमाबंदी खतौनी ग्राम बसेडी खाता सं0 181 सवत् 2073–2076, जो कि प्रदर्श 3 दिनांक 01.10.2021 है।
4. जमाबंदी खतौनी ग्राम बसेडी खाता सं0 182 सवत् 2073–2076, जो कि प्रदर्श 4 दिनांक 01.10.2021 है।
5. मृत्यु प्रमाण पत्र चौथी देवी जारी दिनांक 27.04.2020, जो कि प्रदर्श 5 दिनांक 01.10.2021 है।
6. पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 19.10.2015, जो कि प्रदर्श 6 दिनांक 01.10.2021 है।

वादीगण ने अपने वाद मे साक्षी PW1 प्रभू पुत्र स्व0 कानाराम ने अपने शपथ पत्र मे वाद पत्र के कथनों को स्पष्ट किया है तथा प्रदर्श 1 से प्रदर्श 4 विवादित आराजीयात की जमाबंदी एवं प्रदर्श 5 मृत्यु प्रमाण पत्र चौथी बाई एवं प्रदर्श 6 पारिवारिक समझौता दिनांक 12.10.2015 प्रदर्श 6 पेश किया है। शपथ पत्र के मद नम्बर 4 व प्रदर्श 6 को ... शपथ पत्र के मद नम्बर 4 मे प्रदर्श 6 को पूर्ण रूप से साबित किया है तथा उक्त पारिवारिक समझौता के माध्यम से वादीगण के हक मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने अपने हक ... वादीगण के हक मे किया जा चुका हैं। भविष्य मे मृतक चौथी देवी का हक ... के ही रहेगा। प्रदर्श 6 पर X स्थान व Y स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की अंगूठा निशानी है तथा Z स्थान पर चौथी देवी की अंगूठा निशानी है। तथा ए से बी पर वादी प्रभू के हस्ताक्षर है। सी से डी गवाह के हस्ताक्षर व एम स्थान पर अर्जुन लाल की अंगूठा निशानी है। उक्त पारिवारिक समझौता नोटरी रजिस्टर्ड मे क्रमांक 1346 दिनांक 19.10.2015 को दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:30:39 IST
Reason: Self Attested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

इसी प्रकार PW2 चोथूराम पुत्र सूरजकरण जाट जो उक्त पक्षकारान् के पारिवारिक समझौता दिनांक 19.10.2015 का गवाह है। जिस पर पक्षकारों की मौजूदगी एवं गवाह स्वयं भैरू राम, सावरा, अर्जुन, दाना, रंगलाल के समक्ष पक्षकारों के बीच स्टाम्प पर लिखा जाकर नोटरी से तस्दीक करवाया है। जिसमे नोटरी के रजिस्टर मे पक्षकारान् एवं गवाहों के भी हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है, X स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 1 फूली देवी का अंगूठा है तथा Y स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 2 नानछी देवी की अंगूठा निशानी है। ए से बी पर वादी प्रभू के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार PW3 रंगलाल उक्त वादीगण के वाद की ताईद करता है। तथा PW4 नानूराम पुत्र तुलसाराम जाट भी उक्त वाद पत्र की ताईद करता है।

दिनांक 14.12.2021 को अंतिम बहस सुनी गई। जिसमे वादी अधिवक्ता ने मुख्य तौर व वाद पत्र मे उल्लेखित तथ्य पुनः दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बसेडी पटवार हल्का श्योसिंहपुरा, तहसील व जिला जयपुर मे आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 121 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 119 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा स्थित है। जो वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। जो वादीगण को विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि के खसरा संख्या वर्तमान मे बीघा बिस्वा से हैक्टेयर मे रकबा दर्ज किया है। जो वर्तमान रकबा इन खसरा नम्बर 118 रकबा 1.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.16 है0, खसरा नम्बर 120 रकबा 2.89 है0, खसरा नम्बर 119 रकबा 1.22 है0 कुल किता 4 रकबा 7.09 है0 दर्शाया है।

यह कि उक्त आराजीयात वादीगण के पिता कानाराम पुत्र स्व0 हुकमा राम के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की थी। वादीगण के पिता का स्वर्गवास सन् 1991 यानी आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व हो जाने से उनकी विरासत का नामान्तकरण वादीगण 1 लगायत 3 एवं उनकी माता चौथी देवी के हक मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की सहमति से स्वीकार किया गया था। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 शादी काफी समय पूर्व यानी अपने पिता के जीवन काल मे ही होकर अपने अपने ससुराल राजी खुशी निवास करती है। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 तथा वादीगण कि एक मृतक बहन मंगली के लडके राजू ने कुछ लोगो के बहकावे मे आकर पूर्व मे एक दावा संख्या 140/2015 श्रीमती फूली देवी व अन्य बनाम चौथी बाई वादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष दिनांक 18.09.2015 मे पेश किया जिसमे वाद मे पक्षकारान् मे राजीनामा होकर उक्त वाद विड्रा कर लिया तथा मृतक कानाराम की विरासत जो वर्ष 1991 मे वादीगण के नाम से विरासत के आधार पर खोला गया वह सही मानते हुए उक्त पूर्व वाद वादीगण ने खारिज करा लिया। उक्त वाद के समय प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 मृतक चौथी देवी एवं वादीगण के बीच एक पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 19.10.2015 को तहरीर एवं तकमील हुआ जो नोटरी पब्लिक के रजिस्टर क्रमांक 1346 पृष्ठ संख्या 247, 100/—रूपये के स्टाम्प व 2 पाई पेपरों पर सभी पक्षकारान् की सहमति से निष्पादित किया। उक्त पारिवारिक समझौता प्रदर्श 6 पत्रावली मे मौजूद है। प्रदर्श 6 के पैरा नम्बर 2 मे यह स्वीकार किया है कि उक्त सम्पत्ति द्वितीय पक्ष अर्थात वादीगण को विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसकी नामान्तकरण द्वितीय पक्ष यानी वादीगण के नाम से खुल चुका है, जिसमे प्रथम पक्ष यानी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की स्वतंत्र सहमति से खुला है, जिसमे प्रथम पक्ष (प्रतिवादीगण) कोई आपत्ति नही की थी और द्वितीय पक्ष (वादीगण) के हक मे त्याग किया है। जिसके बारे मे प्रथम पक्ष (प्रतिवादीगण) कभी भी कोई दावा नही करेगें, और ना ही कोई हिस्सा मांगने यदि कोई उज्र या आपत्ति करेगे तो वह निरस्त समझी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:30:39 IST
Reason: SelfAttested

इस बाबत वादी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए निवेदन किया कि उक्त पारिवारिक समझौते के लिए पंजीयन अनिवार्य नही है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च

(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

न्यायालय ने AIR 1998 (SC) 881 मे विवेचन किया है कि " Registration Act (16 of 1908) SS 17(1)(b) and 49 transfer of property Act (4 of 1882) section 5 partion of ancestrial properties. Subsequent memorandum of partition everybodying factum of partition Held, memorandum was only family arrangement and its registration was not necessary (Evidance Act 72 section 91) उक्त पारिवारिक समझौता के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नही है तथा न्यायालय द्वारा प्रदर्श लगने के बाद उसे साक्ष्य मे ग्राहय किया जावेगा तथा पक्षकारों के बीच जो पारिवारिक समझौता से विभाजन हुआ हैं उसके अनुसार न्यायालय को डिकी किया जाना चाहिए।

वादी अधिवक्ता की बहस व पत्रावली का अध्ययन कर यह पाया गया कि इस वाद मे वादीगण ने अपनी पैतृक विरासत मे प्राप्त भूमि मे से अपने मृतक माता चौथी देवी पत्नि स्व0 कानाराम के हिस्से की भूमि की घोषणा अपने नाम करवाने हेतु पेश किया है, जिसका आधार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 19.10.2015 को तहरीर एवं तकमील हुआ समझौता पत्र (नोटरी पब्लिक के रजिस्टर क्रमांक 1346 पृष्ठ संख्या 247, 100/–रूपये के स्टाम्प व 2 पाई पेपरों पर सभी पक्षकारान् की सहमति से) है। इस वाद मे वादी के चाहे अनुतोष अनुसार उसके हक अधिकारों की घोषणा के लिए जो मूल विचाराधीन तनकी विन्दु है व यह है कि:–

क्या प्रस्तुत नोटराईज्ड समझौता पत्र के आधार पर वादी अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है?

इस बाबत वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे उल्लेख किया प्रदर्श 6 के पैरा नम्बर 2 मे यह स्वीकार किया है कि उक्त सम्पत्ति द्वितीय पक्ष अर्थात वादीगण को विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसकी नामान्तकरण द्वितीय पक्ष यानी वादीगण के हक मे वर्ष 1991 मे ही खुल चुका है, जिसमे प्रथम पक्ष यानी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की स्वतंत्र सहमति से खुल है, जिसमे प्रथम पक्ष (प्रतिवादीगण) कोई आपत्ति नही की थी और द्वितीय पक्ष (वादीगण) के हक मे त्याग किया है, जिसके बारे मे प्रथम पक्ष (प्रतिवादीगण) कभी भी कोई दावा नही करेगें, और ना ही कोई हिस्सा मांगने यदि कोई उज्र या आपत्ति करेगे तो वह निरस्त समझी जावे। उक्त पारिवारिक समझौता एक पारिवारिक पक्षकारों का सम्पत्ति का व्यवस्था की। इस लिए रजिस्ट्रेशन धारा 17(1)(बी) एवं 49 के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्कता नही है। इसके संबंध मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय 1998 AIR (SC) 881 "memorandum of partition everybodying factum of partition Held memorandum was only family arrangement and its registration was not necessary (Evidance Act 72 section 91) पेश किया गया।

वादी ने मोखिक बहस मे यह स्पष्ट किया कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण की जरिए रजिस्टर्ड एडी तामील पूर्ण करवाई गई, परन्तु बाद तामील भी प्रतिवादीगण ने जरिए जवाब व साक्ष्य वादी के किसी भी कथन का खंडन नही किया। अतः न्यायिक दृष्टांत 2001 (3) CIVIL COURT CASES 622 (S.C.) का हवाला देते स्पष्ट किया कि "absence of cross examination on a point statement on that point to be taken true." अतः वादी चाहे अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है।

न्यायालय पूर्ण पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों व वादी अधिवक्ता की बहस का अध्ययन कर यह पाता है कि भूमि ग्राम बसेडी पटवार हल्का श्योसिंहपुरा तहसील व जिला जयपुर मे खसरा नम्बर 118 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 122 रकबा 0 बीघा 3 बिस्वा, खसरा न0 120 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा, खसरा न0 119 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 32 बीघा 2 बिस्वा स्थित है, जो वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। यह वादीगण को विरासत मे प्राप्त हुई है। इस भूमि बाबत दिनांक 19.10.2015 को (नोटरी पब्लिक के रजिस्टर क्रमांक 1346 पृष्ठ संख्या 247, 100/–रूपये के स्टाम्प व 2 पाई पेपरों पर) तहरीर व तकमील हुए पारिवारिक समझौता पत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:30:39 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अपना सम्पूर्ण हक त्याग, व भविष्य मे जो अधिकार होगें उनको वादी के हक मे समर्पित कर चुकी है। चूंकि वादीगण की माता चौथी बाई की मृत्यु दिनांक 03.04.2020 हो चुकी है तथा उक्त पारिवारिक समझौते से प्रतिवादीगण गोद (एडोप्ट) है। इसलिए वादीगण मृतक चौथी बाई के उक्त हिस्से की आराजीयात की घोषणा करने के अधिकारी है।

चूंकि दिनांक 03.04.2020 को चौथी बाई पत्नी स्व0 कानाराम का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए वादीगण श्योजीराम पुत्र स्व0 कानाराम, रामकरण पुत्र स्व0 कानाराम, प्रभू पुत्र स्व0 कानाराम ही उक्त समझौता पत्र के आधार पर विवादित भूमि मे मृतक चौथी बाई पत्नि स्व. कानाराम के हिस्से के घोषणा स्वयं के हक मे करवाने के अधिकारी है। अतः **ग्राम बसेडी पटवार** हल्का श्योसिंहपुरा तहसील जयपुर के वर्तमान खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.1635 हैक्टे0 मे चोथी बाई का 43/92 हिस्से एवं खाता संख्या 180 के खसरा न0 118 रकबा 1.8211 हैक्टे0 मे 1/4 हिस्सा, वर्तमान खाता संख्या 181 के खसरा न0 120 रकबा 2.8960 हैक्टे0 का 1/12 हिस्सा एवं खाता संख्या 182 के खसरा न0 119 रकबा 2.4534 हैक्टे0 का 1/4 हिस्सा जो चोथी बाई पत्नी स्व0 कानाराम के नाम दर्ज है, उक्त तीनो वादीगण श्योजीराम पुत्र स्व0 कानाराम, रामकरण पुत्र स्व0 कानाराम व प्रभू पुत्र स्व0 कानाराम को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आदेश की पालना बावत तहसीलदार जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 4/01/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एफ.ट्र.)
अरशदीप बरार
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:30:39 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

1. श्योजीराम पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।
2. रामकरण पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 57 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।
3. प्रभू पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।

...........वादीगण

बनाम

1. श्रीमती फूली देवी पुत्री स्व0 कानाराम पत्नी स्व0 हरसहाय उम्र 55 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बसेडी हाल गजाधरपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमती नान्छी पुत्री स्व0 कानाराम पत्नी अर्जुनलाल उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बसेडी हाल गजाधरपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर।

...........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 19/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्रीमती अरशदीप बराड** व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वाके ग्राम बसेडी पटवार हल्का श्योसिंहपुरा तहसील व जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.1635 हैक्टे0 मे चोथी बाई का 43/92 हिस्से एवं खाता संख्या 180 के खसरा न0 118 रकबा 1.8211 हैक्टे0 मे 1/4 हिस्सा, वर्तमान खाता संख्या 181 के खसरा न0 120 रकबा 2.8960 हैक्टे0 का 1/12 हिस्सा एवं खाता संख्या 182 के खसरा न0 119 रकबा 2.4534 हैक्टे0 का 1/4 हिस्सा जो चोथी बाई पत्नी स्व0 कानाराम के नाम दर्ज है, उसका तीनो वादीगण श्योजीराम पुत्र स्व0 कानाराम, रामकरण पुत्र स्व0 कानाराम व प्रभू पुत्र स्व0 कानाराम को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....—....... मुवलिग .... बाबत् ....

.... सालाना आज की

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद वशरह ....

.... का अदा करें।

तारीख से तारीख अदायगी तक ....

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/1/2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:30:39 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

दस्तखत अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम